न्यायालय–रिविजन प्राधिकार–सह–सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना

रिविजन वाद संख्या–वन मु०(री०)–05 / 2023
बिहार राज्य एवं अन्य बनाम सहीम गद्दी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

आदेश

यह रिविजनवाद बिहार राज्य एवं अन्य की ओर से प्रवीण कुमार गुप्ता, वल्द स्व० यदुनंदन प्रसाद, ग्राम–खासमहल, रोड नं0–3, फुलवारी, पो0–जी0पी0ओ0, थाना–जक्कनपुर, जिला–पटना द्वारा समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के अपीलीय न्यायालय में दायर वाद सं0–सी0आर0एम0–424 / 2022–23 में दिनांक–26.06.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

वाद का संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक–13.12.2021 को अपराह्न करीब 2.30 बजे एस.एस.बी. एवं वन विभाग के संयुक्त गश्ती के क्रम में पाया गया कि वनकक्ष संख्या–M / 23 में झण्डुटोला में कुछ व्यक्तियों द्वारा लेवलर से मिट्टी काटकर निष्कासन का प्रयास किया जा रहा था। गश्ती दल को नजदीक आते देख सभी अभियुक्त ट्रैक्टर, ट्रौली एवं लेवलर छोड़कर भाग गये। घटना स्थल पर प्रभारी वनपाल द्वारा जप्ती की कार्रवाई की गयी एवं जप्ती सूचना प्रभारी वनपाल, कोतराहा वन परिसर के पत्रांक 146, दिनांक 15.12.2021 के द्वारा अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बगहा न्यायालय को भेजा गया। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वाल्मीकि नगर के ज्ञापांक 666, दिनांक 17.12.2021 द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल–02, वाल्मीकि नगर को इस घटना में जप्त वाहनों के विरूद्ध अधिहरण वाद की कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुशंसा की गयी। उक्त अनुशंसा के आलोक में अधिहरण वाद सं0–02 / 2022: बिहार सरकार बनाम सहीम गद्दी एवं अन्य दर्ज की गयी एवं अधिहरण की कार्यवाही प्रारंभ की गयी, जिसकी सूचना पत्रांक 47, दिनांक 10.01.2022 के द्वारा अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बगहा न्यायालय को भेजी गयी। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वाल्मीकि नगर प्रक्षेत्र के द्वारा अनुसंधान के क्रम में नौ अभियुक्तों का नाम एवं पता ज्ञात कर पत्रांक 57 दिनांक 14.01.2022 के द्वारा समर्पित किया गया।

अधिहरण वाद सं0–02 / 2022: बिहार सरकार बनाम सहीम गद्दी एवं अन्य में सुनवाई पूरी करते हुए प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–उप निदेशक,

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल–2, बाल्मीकि नगर के अधिहरण न्यायालय द्वारा दिनांक–27.05.2022 को भारतीय वन (बिहार संशोधन अधिनियम–1989) अधिनयम 1927 की धारा–52(3) के तहत नौ ट्रैक्टर ट्रॉली, पंजीयन संख्या–(1) BR22GA2220, (2) BR22Q7286, (3) BR33J8860, (4) NAPTA-3773, (5) NAPATA-1251 3VDE-1251, (6) SUSATA-5080, (7) NAPTA-1413, (8) NAPTA-655, (9) Modal SWARAJ 735 XT एवं लेवलर को राज्यसात करने का आदेश पारित किया गया।

दिनांक 27.05.2022 को अधिहरण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध सहीम गद्दी एवं अन्य द्वारा समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के अपीलीय न्यायालय में अपीलवाद सं0–424/2022–23 दायर किया गया। इस अपील वाद में समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के न्यायालय द्वारा दिनांक–26.06.2023 को अंतिम आदेश पारित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–उप निदेशक, बाल्मीकि ब्याघ्र परियोजना, प्रमंडल–2, बाल्मीकि नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक–27.05.2022 को खारिज कर दिया गया।

समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक–26.06.2023 को पारित आदेश (ज्ञापांक–2740, दिनांक–13.07.2023) के विरूद्ध बिहार राज्य एवं अन्य की ओर से प्रवीण कुमार गुप्ता, वल्द–स्व० यदुनंदन प्रसाद द्वारा सचिव–सह–रिविजनल प्राधिकारी; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के रिविजन न्यायालय में रिविजन याचिका दायर की गयी, जिसके आधार पर रिविजन वाद संख्या–05/2023: बिहार राज्य एवं अन्य बनाम सहीम गद्दी में कार्यवाही प्रारंभ की गई। रिविजनवाद में विभिन्न तिथियों को सुनवाई की गयी एवं 06.12.2024 को सुनवाई पूर्ण करते हुए आदेश सुरक्षित रखा गया।

रिविजनकर्त्ता (वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल–2, बाल्मीकि नगर) द्वारा दाखिल रिविजन याचिका, अपीलीय प्राधिकार–सह–समहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के अपीलीय न्यायालय द्वारा सी०आर०एम०–424/2022–23 में दिनांक–26.06.2023 को पारित आदेश, प्राधिकृत पदाधिकारी–वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल–2, बाल्मीकि नगर द्वारा अधिहरण वाद संख्या–02/2022: बिहार सरकार बनाम सहीम गद्दी में दिनांक–27.05.2022 को पारित आदेश, प्रतिवादी द्वारा दाखिल लिखित प्रतिउत्तर, उभय पक्षों द्वारा दाखिल कागजात एवं दोनों पक्षों के बहस से निम्नलिखित बिन्दु स्पष्ट होते हैं:–

1. रिविजनकर्त्ता द्वारा दायर याचिका में सभी आरोपितों, जिनके विरूद्ध अधिहरण वाद में कार्यवाही की गयी एवं आदेश पारित किया गया, को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

2. घटना 13.12.2021 को अपराह्न 02:30 बजे घटी परंतु घटना में शामिल उपस्करों, ट्रैक्टर, ट्रॉली एवं लेवलर की जप्ती की सूचना संबंधित वनपाल द्वारा संबंधित न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय को 02 दिन बाद दिनांक–15.12.2021 को दी गयी। साथ ही तत्संबंधी अपराध रिपोर्ट सं0–07P दिनांक–21.04.2022 को दर्ज किया गया।

3. जप्त सामग्रियों में काटी गयी मिट्टी शामिल नहीं है तथा प्रभावित वन भूमि का परिमाप नहीं दिया गया है।

4. अभियुक्तों द्वारा दावा किया गया है कि भारत–नेपाल सीमा के निकट भारतीय क्षेत्र में चकदहवा ग्राम में अवस्थित सरकारी स्कूल परिसर में अवस्थित गड्ढ़ा में बरसात के दिनों में पानी भरने से बच्चों की पढ़ाई 2–3 माह बंद हो जाती है। इसी गड्ढ़ा को भरने के लिए ग्रामीण समिति बनाकर कार सेवा के जरिये अपने–अपने ट्रैक्टरों (ट्रॉली सहित), लेवलर एवं निजी भूमि की मिट्टी देने का निर्णय लिये थे तथा घटना के दिन सभी ट्रैक्टर/लेवलर इसी उद्देश्य से इकट्ठा थे। मिट्टी किस खेत से काटी जाय, इसका निर्णय होना था। वे इसके समर्थन में साक्ष्य भी दिए, परन्तु अधिहरण न्यायालय द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया। कार्यवाही के दौरान इस तथ्य की छानबीन भी नहीं की गयी।

5. रिविजनकर्त्ता द्वारा कोई ऐसा नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–26.06.2023 (ज्ञापांक–2740, दिनांक–13.07.2023) में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके।

वर्णित तथ्यों एवं परिस्थिति के आलोक में रिविजनकर्त्ता के रिविजन याचिका को अस्वीकृत किया जाता है।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाय।

ह0/–
03.04.2025
(बन्दना प्रेयषी)
सचिव–सह–रिविजनल प्राधिकार

लेखापीत एवं संशोधित
ह0/–
(बन्दना प्रेयषी)

ज्ञापांकः वन मु०(री०)–05/2023 ..../प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक................
प्रतिलिपि :– सहीम गद्दी, पिता– बुधई गद्दी, ग्राम–पथरी भावल, थाना– रामनगर, जिला–पश्चिमी चम्पारण, बेतिया, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु०(री०)–05/2023 ..../प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक................
प्रतिलिपि :– जिला दण्डाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)/वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–उप निदेशक, बाल्मिकी ब्याघ्र आरक्ष, डिवीजन–2, बाल्मिकी नगर, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु०(री०)–05/2023 1640/प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक 08/4/25
प्रतिलिपि :– विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/4/25
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी